

पत्रावली संख्या:- 20/2018/अपील

भागीरथ पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी ग्राम सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलान्ट

बनाम

उपतहसीलदार उप तहसील अजीतगढ (सीकर)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 29.01.2018 न्यायालय तहसीलदार
अजीतगढ (सीकर) मु0 नं0 12/18 उनवानी राजस्थान सरकार
बनाम भागीरथ

वकील अपीलांट श्री सांवरमल

निर्णय

दिनांक:-24.04.2018

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सिहोड़ी द्वारा अपीलांट के खिलाफ एक निराधार रिपोर्ट भूमि खसरा नम्बर 374 रकबा 3.85 है0 में से रकबा 0.04 हैक्टर भूमि पर नाज़ायज कब्जा कर लेने के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट के नाम धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई हेतु तारीख पेशी दिनांक 29.01.2018 निर्धारित कर दी गई। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जानबुझकर उक्त नोटिस की तामील अपीलांट पर दिनांक 27.01.2018 को करवाई गई ताकि अपीलांट नोटिस की समुचित प्रतिरक्षा नहीं कर सके। निर्धारित दिनांक 29.01.2018 को योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उपस्थित होते ही अपीलाधीन आदेश बाबत बेदखल सुना दिया गया जो कि अपीलांट के योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से पूर्व ही अवैध रूप से एक प्रोफार्मा में टाईप करवाया हुआ था। ग्राम सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की तन में भूमियां खसरा नम्बर 371, 372, 373 व 374 अवस्थित है। उपरोक्त भूमियां नये भू प्रबंध से पूर्व एक ही चक के रूप में अवस्थित रही है। उपरोक्त भूमियों में से ग्राम सिहोड़ी से भूतला की ढाणी जाने वाली रोड़ गुजरती है। उपरोक्त भूमियों में से भूमियां खसरा नम्बर 371, 372, 373 व 374 वाली भूमियों पर करीब 60-70 वर्ष पूर्व से आबादी बसी हुई है। विभिन्न लोगों के पक्के आवासीय मकानात बने हुए है तथा विधुत कनेक्शन स्थापित है। सेटलमेंट के नक्शे से भी आबादी भूमि होना इस बात को प्रमाणित करता है। अपीलांट भी उपरोक्त भूमियों में से भूमि खसरा नम्बर 371 वाली जगह में पक्के आवासीय मकान बनाकर काफी लम्बे समय से मय परिवार आवास निवास चला आ रहा है तथा मकानात में किशनाराम के नाम से विधुत कनेक्शन लगा हुआ है। पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत रिपोर्ट की गई है, जिसमें से अपीलांट पर भूमि खसरा नम्बर 374 रकबा 3.85 है0 में से रकबा 0.04 हैक्टर पर अनाधिकृत कब्जा करने के आरोप लगाया गया है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट दिनांक 05.01.2018 को की जानी अंकित है तथा जिसमें गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 05.01.2018 को अपने हस्ताक्षर बिना किसी रिपोर्ट किये हुए है जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के नाम की गई है। उक्त रिपोर्ट कानूनी प्रावधानों

के विपरीत है, जिसमें कहीं पर भी अंकित नहीं है कि अपीलांट का अतिक्रमण किस साल सम्मत का है तथा कितने मकानात है तथा मकानात बनाते समय रिपोर्ट क्यूं नहीं की गई के सम्बंध में कोई उल्लेख नहीं है। उक्त रिपोर्ट में अपीलांट के आवासीय मकानात को गलत रूप से भूमि खसरा नम्बर 374 में बना होना अंकित किया गया है, जबकि अपीलांट के मकानात तो भूमि खसरा नम्बर 371 में बने हुए है जो कि पूर्वजों के जमाने से बने हुए है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपतसीलदार अजीतगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निर्णय की तारीफ में ही नहीं आता है। एक पूर्व से छपे हुए प्रोफार्मा में मनमर्जी से जमीन के खसरा नम्बर व अपीलांट का नाम भरकर इतिश्री कर ली गई है। अपीलाधीन आदेश पारित करते समय कतई न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है, निरस्तनीय है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रियात्मक विधि की कोई पालना नहीं की गई है ना ही अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह का मौका ही दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार अजीतगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.01.2018 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट उपस्थित आया एवं बावजूद सूचना के उक्त नोटिस के सम्बंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम सिहोड़ी के खसरा नम्बर 374 रकबा 3.85 है० किस्म चारागाह में से 0.04 है० पर पुख्ता पक्का मकान व पशु बाड़ा बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। चारागाह भूमि राजकीय भूमि है। जिस पर प्रार्थी/अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में चारागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि है। जिसमें खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। अतः राजकीय भूमि (चारागाह) पर पुख्ता मकान बनाकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अजीतगढ के द्वारा बेदखली आदेश दिनांक 29.01.2018 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जय प्रकाश)

अति० जिला कलक्टर, सीकर